

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा  
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत बाबत घोषणार्थ, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरुस्त किये जाने वर्तमान नक्शा सर्वेसीट

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :-86/2023(साबीर हुसैन बनाम सरकार वगै0)

निर्णय दिनांक :-26.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.08.2025 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम मलसीसरस्थित भूमि ख0न0 670/1117 रकबा 0.03 है0 के राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा सीट में गै0मु0 रास्ता की प्रविष्टि को हटाया जाकर बरानी-2 दर्ज कर रास्ते को ख0न0 670/1117 के उत्तर दिशा में मौके पर चालु रास्ते पर तरमीम करने तथा जाति सिरोहा के स्थान पर तेली दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 26.08.2025 को जारी की गई।



५०१  
(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
मलसीसर